Shikshaparivar.com

दिनॉक 30 जून 2015

नमस्कार मित्रों

नया सत्र की हार्दिक शुभ कॉमनाएँ । जिस तरह आकाश मे बरसात के लिए बादल उमड रहे है उसी तरह शिक्षा मंत्री जी के मन मे निजी विद्यालयो को किसी न किसी बहाने बंद कराने के विचार उमड रहे है ।

1. सरकार ने अपने शिक्षको को नामॉकन का लक्ष्य दिया है अर्थात वे पहले तो मना करते थे लेकिन अब अपनी नोकरी बचाने के लिए बच्चे ढूँढते फिर रहे है ।
2. आरटीई मे लॉटरी बहुत पहले ही निकाल ली यह जानते हुए कि एडमीशन होगे नही एवं सीटे खाली रह जायेगी एवं जब एडमीशन होगे, तब आरटीई की लॉटरी बंद हो जायेगी और बच्चो को मजबूरन सरकारी स्कूल मे आना होगा । इससे भी नामॉकन बढेगा उनका ।
3. बिना टीसी के प्रवेश पहले भी संभव नही था एवं अब भी नही है । सरकार ने अपने स्कूलो को बिना टीसी अस्थाई प्रवेश देने को कहा है , जो सामान्य प्रक्रिया है एवं हर बार होती आई है, लेकिन सरकार ने इस बार प्रचार – प्रसार करके यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि बिना टीसी ही प्रवेश हो जायेगा , आप तो आ जाओ ।
4. मान्यता के नियमो को कोई ढील देनी तो दूर , उनको और कठोर किया गया है ताकि नये स्कूल खुल ही नही सके ।
5. पीपीपी मॉडल पर अपने रिश्तेदारो की बडी कम्पनियों को करोडो के सरकारी स्कूल मुफत मे दिये जा रहे है ।

————————————————

दोस्तो मेरा यह सब बताने के पीछे सिर्फ दो ही मकसद है –एक – कि आप सर्तक एवं सजग रहे एवं लोगो को सरकारी भुलावे /झूँठ के बारे मे अवगत कराते रहे । ताकि आपका स्कूला प्रभावित ना हो । दूसरा – कि हम लगातार सरकार पर निगाह रखे हुए है एवं इन समस्याओ के समाधान के लिए संघर्षरत भी है । मौके की तलाश मे है क्योकि अभी सरकारी अंधी है । मुख्यमंत्री मिलती/सुनती नही है और मंत्री तो चाहता ही नही है । सरकार को कोटा संभाग के दौरे पर बाहर निकलने दो । फिर इनको जवाब देते भारी पडेगा । अब मै आपको उपरोक्त चारो तथ्यो से लडने की तरकीब बता रहा हुँ – ध्यान लगा कर करेगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा –

————————————————————————

CONFIDENTIAL

1. आप लोग भी अपने अभिभावको एवं संभावित अभिभावको से नियमित सम्पर्क बनाये रखे एवं सरकारी पढाई/परिणाम एवं निजी विद्यालयों के परिणाम के बारे मे बता कर बच्चो के भविष्य को ध्यान मे रख कर निजी विद्यालयो मे ही पढाने को प्ररित करे । आप चाहे तो रामबाण वाक्य अपना सकते है – चाहे आप किसी भी विद्यालय मे पढाये पर पढाये निजी मे ही क्योकि यदि आपके बच्चे का जीवन संवर गया तो आपको जीवन संवर जायेगा । सरकारी स्कूल यदि अच्छे होते तो सरकारी अध्यपाक अपने बच्चो को नही पढाते क्या ? उनके बच्चे तो निजी मे और अपनी नोकरी बचाने के लिए आपके बच्चो को अपने पास .....

———————————————————

2. आरटीई अधिनियम मे एडमीशन के लिए सत्र प्रारम्भ से 6 माह तक का प्रावधान है, लेकिन सरकार नही चाहती है । आप और हम तो ज्यादा कुछ नही कर सकते लेकिन अभिभावक चाहे तो उनके विरूद्व थाने मे मुकदमा दर्ज करवा सकता है । मैने इस बारे मे पूरे नियमो के साथ एक पत्र अपनी वेबसाईट पर डाल दिया है । साथ ही मैने पूरा एक्ट भी साईट पर डाल दिया है वकील को दिखाने के लिए । आप लोग ऐसे पैरेन्टस को वह चिटठी लिख कर दे देवे एवं हो सके तो किसी वकील से बात करके आप ही उस पैरेन्टस के नाम से डायरेक्टर /डीईओ को नोटिस दिलवा देवे । फिर देखो कमाल झक मार कर एडमीशन ऑपन करना होगा । डरे नही । आप तो एक दो नोटिस दिलवावों एवं अभिभावको से कहे कि चिन्ता नही करे ओपन करना होगा एवं एमपी एमएलए आदि के घर अभिभावको के ले कर जा सकते है आप ...

———————————————————————————————

3. बिना टीसी एडमीशन नही होता है । डायरेक्टर ने जो पत्र लिखा है उसमे भी स्पष्ट कहा है आप चाहे तो वह पत्र अपनी वेबसाईट से ले सकते है । उसमे कई बाते स्पष्ट रूप से लिखी है – 1. बिना टीसी के दिया गया एडमीशन अस्थाई होगा । दूसरा डीईओ टीसी दिलवाने की कोशिश करेगे अर्थात टीसी तो जरूरी है तीसरा –सरकारी विद्यालय बच्चे की पात्रता की पूरी जॉच करे – अर्थात किसी भी कक्षा मे किसी भी छात्र की पात्रता की जॉच कर केवल और केवल एक मात्र साधन है अंकतालिका एवं टीसी जिसमे टीसी महत्वपूर्ण है । यहॉ मै आपको कानूनी बात और बताना चाहता हुॅ कि आरटीई अधिनियम मे बिना टीसी प्रवेश देने का प्रावधान है लेकिन वह इन नियमित छात्रो के लिए नही बल्कि 6 से 14 वर्ष के उन छात्रों के लिए है जिन्हौने किसी भी कक्षा मे या स्कूल मे नियमित अध्ययन नही किया हो । ऐसे छात्रों को भी किसी भी कक्षा मे एडमीशन देने से पूर्व बहुत सारी ऑपचारिकताऍ करनी पडती है जो सरकारी तो कर ही नही सकते है । साथ ही इस पत्र मे डायरेक्टर ने लिखा है कि डीईओ जॉच करके ही मान्यता समाप्ति का प्रस्ताव भिजवायेगे अर्थात डीईओ आपसे

CONFIDENTIAL

पूछेगा कि टीसी क्यो नही दी । जवाब मै आज कल मे ही वेबसाईट पर डाल दूँगा । और पैसे बकाया होने पर टीसी नही देने पर कोई डीईओ आपकी मान्यता समाप्त नही कर सकता है । दूसरा निदेशक महोदय को नियमो का पता ही नही है कि मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया अब बदल गई है । केवल मान्यता नियमो मे एक से अधिक शर्तो की पालना नही करने पर ही मान्यता ली जा सकती है । आपको याद दिला दूँ कि बोर्ड परीक्षाओ मे अंक बढवाने वाले खाटूश्याम जी के देश बन्धू स्कूल की इतने बखडे के बाद भी मान्यता निरस्त नही कर सके केवल निलम्बित ही कर सके है । सरकार यूँ ही डराती है । डरो मत ....

————————————————————

4. मान्यता नियमो मे अगले साल एफ डी की छूट तो हो सकती है क्योकि सीबीएसई मे कम है और ये सीबीएसई की नकल करते है ।
5. पीपीपी मॉडल निश्चित रूप से हम सब के लिए खतरनाक है क्योकि बडी कम्पनियों को खुली लूट की अनुमति होगी और उनका खर्चा नाम मात्र का होगा क्योकि ना तो कम्पनियॉ केवल उन स्कूलो को लेगी जिनमे कमाई दिखाई देगी । एवं भूमि–भवन सरकार का होता ही है । यहॉ मै आपको एक बात और बताना चाहता हुँ कि कम्पनी अधिनियम मे सीएसआर नाम एक फण्ड प्रत्येक कम्पनी को रखना होता है जिसके तहत कम्पनी को सामाजिक कार्य करने होते है अत : यह सरकार की बडी चाल है जिसमे वह करोडो का खर्च दिखायेगी एवं सीएसआर के तहत खर्च करने की बजाए पैदा करके ले जायेगी ।

————————————

दौस्तो मै आपको सिर्फ इतना आगाह करना चाहता हुँ कि अब पहले वाली बात नही रही चुनौतियॉ बहुत है अत : आपको पहले से ज्यादा सर्तक रहना होगा । आप मेरे इन मैसेजेज को ध्यानपूर्वक पढे एवं मनन करे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ।

————————————————

अनिल शर्मा – for More info- shikshaparivar.com

CONFIDENTIAL